व्यावसायिक पुनर्वास (वोकेशनल रीहैबिलिटेशन)

वोकेशनल रीहैबिलिटेशन प्रोग्राम अशक्तताओं से ग्रस्त लोगों को रोज़गार के लिए प्रशिक्षण पाने और रोज़गार ढूँढने में मदद देते हैं।

प्र: वोकेशनल रीहैबिलिटेशन (व्यावसायिक पुनर्वास) क्या है?

अमेरिकी शिक्षा विभाग (यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ़ एजुकेशन) द्वारा वित्तपोषित और हर राज्य द्वारा प्रशासित वोकेशनल रीहैबिलिटेशन प्रोग्राम अशक्त लोगों को विभिन्न प्रकार की रोज़गार-संबंधी सेवाएँ देते हैं, जैसे करियर परामर्श, ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण, शिक्षा और जॉब प्लेसमेंट।

प्र: कौन वोकेशनल रीहैबिलिटेशन के लिए पात्र है?

सोशल सिक्यॉरिटी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस (सामाजिक सुरक्षा अशक्तता बीमा) या सप्लीमेंटल सिक्यॉरिटी इनकम (संपूरक सुरक्षा आय) पाने वाले लोग आम तौर पर वोकेशनल रीहैबिलिटेशन के पात्र होते हैं। आप पात्र हैं या नहीं यह पता लगाने के लिए, अपने स्थानीय वोकेशनल रीहैबिलिटेशन प्रोग्राम से संपर्क करें। सरकारी लिस्टिंग और संपर्क जानकारी जॉब अकॉमोडेशन नेटवर्क की वेबसाइट https://askjan.org/concerns/State-Vocational-Rehabilitation-Agencies.cfm पर उपलब्ध हैं।

प्र: वोकेशनल रीहैबिलिटेशन के ज़रिए क्या-क्या सेवाएँ प्रस्तुत की जा सकती हैं?

अलग-अलग राज्यों में वोकेशनल रीहैबिलिटेशन सेवाएँ अलग-अलग होती हैं, पर उनमें ये शामिल हो सकती हैं:

- करियर परामर्श
- रेज़्यूमे तैयार करना और इंटरव्यू के लिए कोचिंग
- जॉब खोज और प्लेसमेंट सहायता
- तकनीकी कौशल प्रशिक्षण
- सहायक टेक्नॉलजी मूल्यांकन और रेफ़रल
- लाभ परामर्श
- मेडिकल आकलन और सेवाएँ
- जॉब बनाए रखने में मदद के लिए मानसिक स्वास्थ्य परामर्श
- श्रवण सहायक उपकरणों की खरीद
- वाहन और गृह संशोधन अनुदान
- दीर्घकालिक फ़ॉलो-अप और सहायता सेवाएँ

प्र: क्या वोकेशनल रीहैबिलिटेशन प्रोग्राम सहायक टेक्नॉलजी या वाहन संशोधन सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं?

कई मामलों में, हाँ। यदि सहायक टेक्नॉलजी या वाहन संशोधनों को किसी व्यक्ति के रोज़गार लक्ष्यों या सफलता में सहायता के लिए आवश्यक पाया जाता है, तो सरकारी प्रोग्राम वित्तीय सहायता अक्सर प्रदान करते हैं।

प्र: क्या अशक्तताओं से ग्रस्त युवा लोग वोकेशनल रीहैबिलिटेशन प्रोग्राम के लिए पात्र हैं?

हाँ। कई राज्यों में, अशक्तताओं से ग्रस्त विद्यार्थी हाई स्कूल के बाद के जीवन की योजना बनाने के लिए वोकेशनल रीहैबिलिटेशन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। वोकेशनल रीहैबिलिटेशन परामर्शदाता भावी रोज़गार और आत्मनिर्भर जीवन-यापन में मदद देने वाला ज्ञान और अनुभव अर्जित करने में विद्यार्थियों की मदद करने के लिए परिवारों, स्कूलों और सामुदायिक भागीदारों के साथ काम करते हैं।

प्र: क्या विशेष रूप से पूर्व-सैनिकों के लिए कोई वोकेशनल रीहैबिलिटेशन प्रोग्राम हैं?

हाँ। पूर्व-सैनिक तैयारी और रोज़गार (वेटरन रेडिनेस एंड एम्प्लॉयमेंट, VR&E), जिसे कभी-कभी चैप्टर 31 कहा जाता है, सेवा-संबंधी अशक्तताओं से ग्रस्त पूर्व-सैनिकों को शिक्षा, प्रशिक्षण और जॉब प्लेसमेंट प्रदान करता है।

VR&E रोज़गार संयोजक पात्र व्यक्तियों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने, विभिन्न करियरों के लिए दोबारा प्रशिक्षण लेने या अपनी पूर्ववर्ती जॉब पर लौटने से जुड़ी सहायताओं को पाने में मदद दे सकते हैं। संभव है कि आत्मनिर्भर जीवन-यापन और गृह अनुकूलन अनुदान भी उपलब्ध हों।

VR&E सेवाओं के बारे में और जानकारी के लिए, VA की वेबसाइट https://www.benefits.va.gov/vocrehab/ पर जाएँ।

प्र: अमेरिकन इंडियन वोकेशनल रीहैबिलिटेशन सर्विसेज़ (अमेरिकी मूल-निवासी व्यावसायिक पुनर्वास सेवाएँ) क्या है?

अमेरिकी मूल-निवासी व्यावसायिक पुनर्वास सेवाएँ (अमेरिकन इंडियन वोकेशनल रीहैबिलिटेशन सर्विसेज़, AIVRS) प्रोग्राम, जिसे पुनर्वास अधिनियम (रीहैबिलिटेशन एक्ट), 1973 के तहत स्थापित किया गया था, इंडियन ट्राइब्स यानी मूल-निवासी जनजातियों के शासी निकायों को संघीय या राज्य आरक्षित भूमि पर या के पास रहने वाले अशक्तता-ग्रस्त लोगों के लिए प्रशिक्षण और कार्य प्लेसमेंट पहलों का विकास करने हेतु अनुदान प्रदान करता है। सरकार द्वारा संचालित सभी वोकेशनल रीहैबिलिटेशन प्रोग्राम की तरह AIVRS का लक्ष्य भी आर्थिक आत्मनिर्भरता के अवसर बढ़ाने वाले रोज़गार के लिए तैयार करने और उसे ढूँढने में अशक्तताओं से ग्रस्त लोगों की मदद करना है।

राज्य के अनुसार प्रोग्राम खोजने के लिए, AIVRS टेक्निकल असिस्टेंस (तकनीकी सहायता) वेबसाइट https://aivrttac.org/aivrs-projects/ पर जाएँ।

प्र: यदि मुझे मेरी ज़रूरत की वोकेशनल रीहैबिलिटेशन सेवाएँ नहीं मिल रही हैं तो क्या कोई है जो मेरी मदद कर सकता है?

यदि आपका मानना है कि आपको आपकी ज़रूरत की सेवाएँ नहीं मिल रही हैं, या यदि आप और आपका जॉब परामर्शदाता आपके लक्ष्यों पर असहमत हैं तो राष्ट्रीय अशक्तता अधिकार नेटवर्क (नेशनल डिसेबिलिटी राइट्स नेटवर्क, NDRN) से संपर्क करें। NDRN के क्लाइंट असिस्टेंस प्रोग्राम हर राज्य में उपलब्ध हैं और ये प्रोग्राम पुनर्वास सेवाएँ, जिनमें वोकेशनल रीहैबिलिटेशन शामिल है, ढूँढ रहे लोगों की पक्षधरता करते हैं।

अपना स्थानीय ऑफ़िस ढूँढने के लिए, NDRN की वेबसाइट https://www.ndrn.org/about/ndrn-member-agencies/ पर जाएँ।

स्रोत: सोशल सिक्यॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन (सामाजिक सुरक्षा प्रशासन), यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ़ वेटरंस अफ़ेयर्स (अमेरिकी पूर्व-सैनिक कार्य विभाग), नेशनल डिसेबिलिटी राइट्स नेटवर्क (राष्ट्रीय अशक्तता अधिकार नेटवर्क), इंस्टिट्यूट फ़ॉर कम्युनिटी इन्क्लूज़न (सामुदायिक समावेशन संस्थान)।

किसी से बात करनी है?

हमारे जानकारी विशेषज्ञ आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपलब्ध हैं।

सोमवार से शुक्रवार, सुबह 7 बजे से रात 8 बजे (पूर्वी समयानुसार) तक टोल फ़्री नंबर 1-800-539-7309 पर कॉल करें।

या https://connect.paralysis.org/hi/send-us-your-question पर कॉल निर्धारित करें अथवा ऑनलाइन प्रश्न पूछें।

इस संदेश में निहित जानकारी आपको पक्षाघात और उसके प्रभावों के बारे में शिक्षित करने व सुविज्ञ बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इस संदेश में निहित किसी भी चीज़ का अर्थ चिकित्सीय निदान या उपचार के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए और न ही वह इसके लिए प्रयोग करने हेतु उद्दिष्ट है। इसका उपयोग आपके चिकित्सक या अन्य किसी योग्य स्वास्थ्य-देखभाल प्रदाता की सलाह के स्थान पर नहीं किया जाना चाहिए। यदि आपको स्वास्थ्य देखभाल संबंधी कोई प्रश्न पूछना हो तो कृपया शीघ्रता से अपने चिकित्सक या अन्य किसी योग्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता को फोन करें या उनसे मिलें। कोई भी नया उपचार, आहार या तंदुरुस्ती कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हमेशा अपने चिकित्सक या अन्य किसी योग्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से परामर्श करें। आपको कभी-भी इस संदेश में पढ़ी गई किसी चीज़ के कारण चिकित्सीय सलाह की अवहेलना नहीं करनी चाहिए अथवा उसे प्राप्त करने में विलंब नहीं करना चाहिए।

इस प्रकाशन को कुल $1,00,00,000 मूल्य के वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में सामुदायिक जीवन-यापन प्रशासन (एडमिनिस्ट्रेशन फ़ॉर कम्युनिटी लिविंग, ACL), अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवाएँ विभाग (यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज़, HHS) की ओर से सहायता मिलती है जिसका 100 प्रतिशत वित्तपोषण ACL/HHS द्वारा किया जाता है। विषय-वस्तुएँ रचियता(ओं) द्वारा रचित हैं और आवश्यक नहीं कि वे ACL/HHS, या अमेरिकी सरकार के आधिकारिक विचारों को या उनके द्वारा विषय-वस्तुओं के समर्थन को दर्शाती हों।